



भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines

माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र,  
Makhupura Industrial Area,  
अजमेर -305002 (राजस्थान)  
Ajmer- 305002 (Rajasthan)

Mine Code: 38RAJ26003

संख्या: E/1927/MCDR-MiFLOLST/1/2022-AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक : 06.10.2023

प्रेषित: खान एजेंट, दारोली चूना पत्थर खान नंबर 1,  
मेसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड,  
श्रीपत नगर, पोस्ट ऑफिस-सी एफ ए, डबोक के पास,  
तहसील-वल्लभ नगर, जिला- उदयपुर (राजस्थान) 313 021  
Email: [mines@ucwl.jkmail.com](mailto:mines@ucwl.jkmail.com), [krishanpal@ucwl.jkmail.com](mailto:krishanpal@ucwl.jkmail.com);

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Daroli Limestone Mine No.1** (Lease area 703.3051 Hect., ML No. 186/08) situated in Udaipur District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 11.09.2023 by the undersigned in presence of Sh. K P Singh, Agent & HOD(Mines):

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified Mining Plan (Approved on 30.10.2020): - 1) During the year 2022-23 in Block-B, mine development was proposed between grid 2719070N to 2719810N & 391260E to 391900E whereas actual mine development has been carried out between grid 2719080N to 2719920N & 391170E to 391910E. 2) Plantation during the year 2022-23 has not been carried out on proposed location. 3) Retaining wall & garland drain during the year 2022-23 have not been made on proposed location.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं ।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है ।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

भवदीय

(डी.आर. गुर्जर)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित : -

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर ।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर ।
4. रक्षित पत्रावली ।